

मध्यप्रदेश शासन  
वन विभाग  
मंत्रालय, चल्लभ भवन

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 9/10/2023

क्रमांक F-1/1/4/0019/2023/Sec-1-10: राज्य शासन एतद्वारा निम्नलिखित वनक्षेत्रपालों को प्रशासकीय दृष्टि से कॉलम-3 में उल्लेखित पदस्थापना से स्थानांतरित करते हुये कॉलम-4 में उल्लेखित पदस्थापना पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है:-

क्र.	वनक्षेत्रपाल का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1	2	3	4
1.	श्री रमेश गोहलोत	कार्य आयोजना इकाई, बैतूल	विभाग के संमसंख्यक आदेश दिनांक 03.10.2023 द्वारा परिक्षेत्र अधिकारी, उत्पादन वनमण्डल रायसेन में की गई पदस्थापना में संशोधन कर परिक्षेत्र अधिकारी, सिंगाजी, सामान्य वनमण्डल खण्डवा
2.	श्री अरविन्द चौहान	परिक्षेत्र अधिकारी, मूंदी, सामान्य वनमण्डल खण्डवा	परिक्षेत्र अधिकारी, खालवा, सामान्य वनमण्डल खण्डवा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(अशोक कुमार)  
अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग  
भोपाल दिनांक 9/10/2023

पू० क्रमांक: F-1/1/4/0019/2023/Sec-1-10,  
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, म.प्र.शासन, मंत्रालय, भोपाल।
  2. विशेष सहायक, मान. वनमंत्री जी मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
  3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
  4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म० प्र०, भोपाल।
  5. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-11), भोपाल।
  6. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना एवं प्रौद्योगिकी), वन भवन, भोपाल की ओर वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
  7. स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, वन विभाग।
  8. संबंधित मुख्य वन संरक्षक/वनमण्डलाधिकारी.....
  9. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क, म.प्र. मंत्रालय भोपाल।
  10. संबंधित .....द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-11) भोपाल।
  11. गार्ड फाईल।
- की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अवेधित।

अपर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म०प्र० भोपाल.

पृ०क्रमांक/प्रशा- ११/स्था.३./व.क्षे.कक्ष/5735

भोपाल, दिनांक 13/10/2023

प्रतिलिपि:

1. मुख्य वन संरक्षक, भोपाल/खंडवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक, (कार्य आयोजना) बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. वन मण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल खंडवा, उत्पादन वनमंडल रायसेन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. संबंधित वनक्षेत्रपाल द्वारा संबंधित नियंत्रण कर्ता अधिकारी के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख है कि संबंधित वनक्षेत्रपाल को प्रति तामिल कराना सुनिश्चित करें।



(कमलिका मोहन्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा- ११)

मध्यप्रदेश भोपाल